प्र.क्र. सं. 86/23 JSW/ गुलाबकंवर

16.4.26

वकील प्रार्थी ने निवेदन पर पत्रावली प्राप्त पेश हुई। नकलाफ उप.। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को आगे संचालित नहीं रखने तथा पार्टियों में विड्रावल निष्पादित करने का निवेदन किया। अतः प्रकरण पार्टियों विड्रावल स्वीकार किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपर कलेक्टर, जालोर